राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी आदिराम निरोध में जेल गोहद से मय वारण्ट पेश की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस०गुर्जर उप0।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। उपार्पण तर्क श्रवण किये गये।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा द्वारा अपराध क्रमांक 113/17 अंतर्गत धारा 420, 467, 468 भा.द.सं के अधीन अभियोग पत्र आरोपी आदिराम गुर्जर उर्फ पटेल उर्फ आदिराम उर्फ भगत जी पुत्र केदारसिंह गुर्जर उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम रते का पुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र. के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या आरोपी के विरूद्ध धारा 420, 467, 468 भा.द.सं के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान है जिसमें से धारा 467, 468 भा०द०स० अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः प्रस्तुत प्रकरण द. प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है।

आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निःशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति संलग्न है।
प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में है अतः सब
जेलर गोहद को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी
नियत दिनांक 14.12.17 पर प्रातः 11:00 बजे आरोपी को
माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष
आवश्यक रूप से उपस्थित रखे। उक्त संबंध में जेल वारण्ट
पर टीप अंकित की जावे। उपार्पण की सूचना जिला लोक
अभियोजन अधिकारी भिण्ड को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित किया जावे।

> सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद